

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-524 / 12

संस्थित दिनांक-18.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

भूरा उर्फ जयपाल सिंह यादव पुत्र इन्दल सिंह यादव
उम्र 21 साल निवासी ग्राम टोडा थाना चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.09.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 323, 506बी के आरोप है कि उसने दिनांक 14.12.12 को शाम 06:00 बजे फरियादी का घर ग्राम टाडा में फरियादी विश्राम सिंह को लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी विश्राम सिंह के साथ डण्डें से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व उसे को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-14.12.12 को शाम 06:00 बजे फरियादी विश्राम सिंह के ही गांव का भूरा उर्फ जयपाल यादव आया और जिसकी विश्राम सिंह से पुरानी रंजिश चल रही थी। विश्राम सिंह अपने गांव में घर के बाहर खड़ा था, उसी समय 06:00 बजे भूरा आया और विश्राम सिंह से बोला तुम गांव के बहुत बड़े दादा बानते हो और मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा, जब विश्राम सिंह ने गालियां देने से मना किया। तो भूरा ने डण्डा मारा जो माथे में लगा चोट होकर खून निकलने लगा, एक डंडा भूरा ने दाहिने पैर की पिडली में मारा उसके बाद उसने लातघूंसों से उसकी मारपीट की। विश्राम चिल्लाया तब पिता मन्नू व चाचा प्रताप यादव आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया व घटना देखी। फरियादी विश्राम द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध

रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 399/12 अंतर्गत धारा— 323, 294, 506 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.12.12 को शाम 06:00 बजे फरियादी विश्राम सिंह के मकान के सामने गाम टाडा में विश्राम सिंह के साथ डंडे से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व लोक स्थान पर फरियादी विश्राम सिंह को अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3.	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर विश्राम सिंह को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष—:

05—सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में अपने समर्थन में फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0—1)

सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के रूप फरियादी के पिता मन्नू (अ0सा0-2) व चाचा प्रताप (अ0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि घटना उसके कथन देने के दिनांक से लगभग दो साल पहले की होकर शाम 07:00 बजे की है, वह अशोकनगर से काम करके अपने घर वापस आ रहा था, तो प्राणपुर में टाडा के लिये जो रास्ता गया है, वहां अभियुक्त ने उसे मां बहन की गालियां दी और शराब पीने के लिये पैसों मांगे और पैसे न देने पर उसके साथ लाठियों से मारपीट की, उक्त मारपीट उसे लाठी से सिर में चोट आई तथा सिर के अलावा कमर व हाथ पैरों में भी अभियुक्त ने उसे लाठी मारी, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 उसने लेखबद्ध कराई थी जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।

06- घटना के समय फरियादी अशोकनगर से काम करके वापस आ रहा था तथा अभियुक्त ने उससे शराब पीने के लिये पैसों की मांग की थी और न देने पर उसके साथ मारपीट की थी, ऐसी कोई घटना का उल्लेख प्रदर्श-पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। अतः फरियादी के उपरोक्त कथन प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 में उल्लेखित घटना से मेल नहीं खाते हैं। घटना किस स्थान पर घटित हुई इस संबंध में भी फरियादी के कथनों में गंभीर विरोधाभास की स्थिति हैं। फरियादी का अपने मुख्यपरीक्षण में कहना है कि घटना के समय वह अशोकनगर से काम करके वापस आ रहा था, तो अभियुक्त ने ग्राम प्राणपुर में ग्राम टाडा के रास्ते पर उसके साथ घटना कारित की थी, जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के समय फरियादी ग्राम टाडा में ही अपने घर के बाहर खड़ा था जहां अभियुक्त के साथ विवाद किया था। अतः घटना स्थल के संबंध में फरियादी के मुख्यपरीक्षण में एवं प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 में विरोधाभास देखा जा सकता है।

07- घटना स्थल को लेकर फरियादी के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभियोजन के द्वारा फरियादी को पक्षविरोधी कर उसका परीक्षण किया गया, जिसमें फरियादी ने पुनः अभियोजन के समर्थन में यह कथन दिये हैं कि घटना स्थल के पास पूरन सिंह, ईन्दल व उसका मकान है तथा घटना के समय वह अपने घर के बाहर ही खड़ा था। परन्तु विश्राम सिंह (अ0सा0-1) ने पुनः अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में व्यक्त किया है कि घटना के समय वह प्राणपुर में था तथा घटना प्राणपुर में ही हुई

थीं।

- 08— फरियादी के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में अभियोजन के विरुद्ध घटना स्थल के संबंध में उपरोक्त कथन देने के कारण अभियोजन के द्वारा फरियादी का उपरोक्त संबंध में घटना स्थल की स्थिति स्पष्ट करने के लिये पुनः परीक्षण किया गया, तो अभियोजन के द्वारा किये गये पुनः परीक्षण में फरियादी का स्पष्ट यह कहना है कि अभियुक्त ने उसे प्राणपुर में मारा था तथा बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में फरियादी ने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि उसके साथ मारपीट प्राणपुर में हुई थीं, ग्राम टाडा में नहीं हुई थीं तथा उसे उसके पिता व चाचा बचाने के लिये ग्राम प्राणपुर आये थे।
- 09— अतः घटना ग्राम प्राणपुर की है या ग्राम टाडा कि हैं इस संबंध में फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) के कथनों में गंभीर विरोधाभास देखा जा सकता है जो कि तात्त्विक स्वरूप का है। ग्राम प्राणपुर और ग्राम टाडा अलग-अलग गांव है इस संबंध में स्वयं फरियादी का ही अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह कहना है कि दोनों गांव के बीच की दूरी एक किलोमीटर की है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में फरियादी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसका मकान ग्राम प्राणपुर में नहीं हैं, परन्तु प्रतिपरीक्षण में फरियादी ग्राम प्राणपुर में अभियुक्त के द्वारा उसके साथ मारपीट करना बताता है अतः फरियादी के उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी के अनुसार घटना ग्राम टाडा उसके घर के सामने न होकर गांव से एक किलोमीटर दूर ग्राम प्राणपुर की है।
- 10— फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी कहता है कि घटना के समय उसके घर से उसके पिता मन्नू सिंह (अ0सा0-2) व चाचा प्रताप सिंह (अ0सा0-3) मोके पर आ गये थे, परन्तु स्वयं फरियादी का पिता मन्नू सिंह (अ0सा0-2) व चाचा प्रताप सिंह (अ0सा0-3) ने अपने कथनों में फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों का समर्थन नहीं किया है। मन्नू सिंह (अ0सा0-2) व प्रताप (अ0सा0-3) दोनों ही साक्षी घटना रात्रि 09:00 से 10:00 बजे की होना अपने कथनों में बताते हैं तथा इस बात की स्पष्ट खण्डन करते हैं कि घटना शाम 06:00 बजे की है।
- 11— मन्नू सिंह (अ0सा0-2) एवं प्रताप (अ0सा0-3) को अभियोजन की ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु इन दोनों ही

साक्षियो ने अपने कथनों में अपने सामने कोई घटना ही घटित न होना बताया है। मन्नू सिंह (अ0सा0-2) का कहना है कि घटना कहा हुई उसे जानकारी नहीं है, वह तो घर पर सो रहा था तो उसके लडके विश्राम सिंह (अ0सा0-1) ने उसे बताया था कि जयपाल ने उसे मारा है। मन्नू सिंह (अ0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका-3 में यह स्वीकार करता है कि वह स्वयं उसका भाई प्रताप (अ0सा0-3) विश्राम को बचाने नहीं गये थे तथा उसने अपनी आंखों से घटना नहीं देखी उसे तो उसके लडके ने घटना के बारे में बताया था। इसी प्रकार प्रताप सिंह (अ0सा0-3) भी अपने कथनों में यह कहता है कि घटना की उसे जानकारी नहीं है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह साक्षी भी स्वयं स्वीकार करता है कि उसने विश्राम (अ0सा0-1) और जयपाल की लडाई नहीं देखी थी।

12- मन्नू सिंह (अ0सा0-2) व प्रताप (अ0सा0-3) अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं परन्तु यह दोनों ही साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विपरीत घटना तो रात्रि 09:00-10:00 बजे की होना बताते हैं तथा शाम 06:00 बजे की घटना होने से इनकार करते हैं तथा इन दोनों ही साक्षियों का कहना है कि उनके सामने अभियुक्त ने फरियादी को नहीं मारा और न ही घटना में उन्होंने बीच बचाव किया है। इन दोनों ही साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि उनके सामने न तो कोई घटना घटित हुई और न ही उन्होंने घटना में बीच बचाव किया।

13- घटना किस स्थान पर घटित हुई इस संबंध में फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) अभियोजन कहानी के विपरीत घटना प्राणपुर की होना बताता है जिससे वास्तव में घटना घटित हुई भी थी अथवा नहीं इस संबंध में फरियादी के कथनों संदेह के घेरे में आ जाते हैं और यह संदेह और प्रबल फरियादी विश्रामसिंह (अ0सा0-1) के पिता मन्नू सिंह (अ0सा0-2) व प्रताप सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से हो जाता है। सर्वप्रथम तो इन दोनों ही साक्षियों ने फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में घटना का समय रात्रि 09:00-10:00 बजे का होना बताया है, वहीं इन दोनों साक्षियो ने अपने सामने कोई घटना घटित न होना बताया है और न ही घटना में बीच-बचाव करना बताया है।

14- मन्नू सिंह (अ0सा0-2) व प्रताप सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा हालांकि अपने

सामने कोई घटना घटित न होना बताया गया है, परन्तु इन साक्षियों के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनो से फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन एवं अभियोजन घटना स्वतः ही संदेह के घेरे में आ जाती है। मन्नू सिंह (अ0सा0-2) घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, परन्तु यह साक्षी न तो घटना में बीच-बचाव करता है तथा फरियादी के कहे अनुसार घटना के संबंध में न्यायालय में कथन देता है घटना स्थल के संबंध में इस साक्षी का अपने कथनों में ही यह कहना है कि घटना के समय उसका लडका घर के पास नहीं खड़ा था और न ही घर के सामने कोई घटना हुई थी। मन्नू सिंह (अ0सा0-2) उधम सिंह के द्वारा उसे घटना की जानकारी दिया जाना बताता है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-4 में इस साक्षी का कहना है कि उधम सिंह उसे अपनी मोटरसाइकिल से घर पर लेकर आया था।

15- प्रताप सिंह (अ0सा0-3) भी अपने कथनों में घटना प्राणपुर की बताता है तथा इस साक्षी का कहना है कि उसका भतीजा प्राणपुर में बेहोश पड़ा था जिस उठाकर वह लोग घर लेकर आये थे। इस साक्षी ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त व फरियादी के बीच उसके सामने कोई लड़ाई ग्राम टाडा में न होना बताया है तथा इस साक्षी का यह कहना है कि उसे जानकारी नहीं है कि घटना स्थल के पास पूरन, ग्यारसी व ईन्दल के मकान है। प्रताप (अ0सा0-3) स्वयं भी इस बात का खण्डन करता है कि उसने व उसके भाई मन्नू ने झगड़े में बीच बचाव किया था।

16- फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) सहित मन्नू (अ0सा0-2) व प्रताप सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनो से यह स्पष्ट है कि इन साक्षियों के अनुसार ग्राम टाडा में फरियादी के घर के सामने शाम 06:00 बजे कोई घटना घटित नहीं हुई बल्कि अभियुक्त ने ग्राम प्राणपुर में फरियादी के साथ मारपीट की थी। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना का स्थान स्वयं फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) के घर के सामने है जो कि उपनिरीक्षक बलराम मांझी के द्वारा प्रदर्श-पी-2 के नक्शा मौका में दर्शाया गया है।

17- मन्नू (अ0सा0-2) फरियादी का पिता है एवं प्रताप (अ0सा0-3) फरियादी का सगा चाचा हैं, यह दोनों अभियोजन के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। यदि वास्तव में इन लोगो के सामने एवं फरियादी के साथ उसके घर के सामने अभियुक्त के द्वारा कोई घटना कारित की गई होती तो भले ही कितना

भी समय व्यतीत हो जाये घटना में आहत एवं घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों में अन्य बातों को लेकर विरोधाभास आना तो स्वभाविक है परन्तु घटना स्थल ही एक गांव से परिवर्तित होकर दूसरे गांव का हो जाये इस संबंध में साक्षियों व फरियादियों के कथनों में आया विरोधाभास गंभीर तात्विक स्वरूप का है जो अभियोजन घटना के सत्यता की जड़ पर ही प्रहार करता है, इससे संपूर्ण अभियोजन कहानी काल्पनिक, बनावटी प्रतीत होती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।

18— फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा न्यायालय में यह कथन भी बढा चढा कर दिये गये हैं कि अभियुक्त ने शराब पीने के लिये पैसे मांगे थे और पैसे न देने पर उसके साथ लाठी से मारपीट की थी जबकि मन्नू सिंह (अ0सा0—2) का कहना है कि फरियादी जब प्राणपुर में बस से नीचे उतरा था तो अभियुक्त ने उसके पैसों छुड़ा लिये थे। अभियुक्त ने शराब के लिये पैसों की मांग की और न देने पर फरियादी के साथ मारपीट की ऐसी कोई घटना का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 में नहीं है। स्वयं फरियादी के कथनों की सत्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में यह कहता है कि अभियुक्त के द्वारा शराब के लिये पैसे मांगने वाली बात उसने अपनी रिपोर्ट में बताई थी या नहीं, उसे पता नहीं है। एक व्यक्ति जिसके साथ में शराब के लिये पैसों की मांग को लेकर मारपीट की घटना कारित की जावे और उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की जावे और उसे यही याद न हो कि रिपोर्ट में उल्लेखित घटना किस कारण से किस स्थान पर किसके समक्ष घटित हुई, यह अपने आप में ही किसी भी घटना को संदेह के घेरे में लाने के लिये पर्याप्त है।

19— फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0—1) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्त के द्वारा सिर में व शरीर के अन्य भागों में लाठी से मारपीट करने के संबंध में न्यायालय में कथन दिये हैं तथा चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) ने भी अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 14.12.12 को जब उनके द्वारा फरियादी का चिकित्सीय परीक्षण किया था तो उन्होंने फरियादी के सिर पर एक फटे हुये घाव की चोट पाई थी, जिसके संबंध में प्रदर्श-पी-6 की रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की गई थी जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से इस बात की तो पुष्टि होती है जब घटना दिनांक को रिपोर्ट के बाद किये गये चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी के सिर पर फटे हुये घाव की चोट थी।

- 20— फरियादी के सिर पर आई चोट के संबंध में बचाव पक्ष की फरियादी तथा अन्य साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा है कि अभियुक्त शराब के नशे में गिर गया था जिससे उसे उक्त चोट आई थीं। जिसका खण्डन विश्राम सिंह (अ0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण में हालांकि किया है। निश्चित रूप से डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) के साक्ष्य से फरियादी के सिर पर घटना दिनांक को फटे हुये घाव होने की पुष्टि की गई है परन्तु मात्र चिकित्सीय परीक्षण में सिर में उपहति का पाया जाना या मात्र उपहति का होना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि उक्त उपहति अभियुक्त के द्वारा कारित की गई ।
- 21— डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) के द्वारा फरियादी के सिर में चिकित्सीय परीक्षण में पाया गया फटा हुआ घाव अभियुक्त के द्वारा लाठी से कारित किया गया यह मौखिक साक्ष्य साबित किया जाना था परन्तु फरियादी साहित घटना के साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों से अभियोजन कहानी लेशमात्र भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। अभियुक्त चिकित्सीय परीक्षण के दौरान मदिरा का सेवन किये हुये था, इस बात की पुष्टि स्वयं डॉक्टर आर0 पी0 शर्मा (अ0सा0—4) ने अपने कथनों में की हैं तथा इस संभावना से भी इंकार नहीं किया है कि शराब के नशे में यदि कोई व्यक्ति घिर जाये तो फरियादी को जैसी चोट चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई है वैसी चोट आना संभव है।
- 22— फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0—1) अपने कथनो में अपने पास से घटना के समय शराब की गंध आना स्वीकार करता है तथा इस संबंध में बेतुके बयान देता है उसके सिर में चोट लगने के बाद किसी ने उस पर शराब डाल दी थी। जबकि स्वयं उसका पिता मन्नू सिंह (अ0सा0—2) प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—4 में इस बात का खण्डन करता है। अतः घटना के संबंध में फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0—1) कि साक्ष्य लेशमात्र भी विश्वसनीय नहीं है। घटना दिनांक को फरियादी स्वयं शराब पीये हुआ था उसके सिर पर मात्र चिकित्सीय परीक्षण में एक चोट पाया जाना बचाव पक्ष के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को पूरी तरह से संभाव्य बनाता है कि वास्तव में चिकित्सीय परीक्षण में फरियादी को सिर में पाई गई उपहति अभियुक्त के द्वारा की गई मारपीट का परिणाम न होकर उसे गिरने से कारित हुई थी क्योंकि अभियुक्त के द्वारा लाठी से फरियादी के साथ मारपीट की गई होती तो फरियादी के शरीर पर अन्य

चोटें भी होती और घटना स्थल में फरियादी सहित साक्षियों के कथनों में ग्राम टाडा से परिवर्तित होकर ग्राम प्राणपुर नहीं होता।

- 23— जहा तक घटना में अभियुक्त के द्वारा फरियादी को अश्लील गालिया देने एवं जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में जब संपूर्ण अभियोजन कहानी ही घटना स्थल परिवर्तित होने के कारण विश्वसनीय नहीं है तो इस संबंध में साक्षियों के द्वारा दिये गये कथन भी विश्वसनीय नहीं है। फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) को अभियुक्त ने ग्राम टाडा में घर के सामने कोई गालिया दी ऐसा कही भी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) का अपने कथनों में कहना नहीं है, जबकि फरियादी प्राणपुर में अभियुक्त के द्वारा उसे मां बहन की गालिया दिये जाना बताता है, परन्तु उच्चरित किये गये शब्दों से क्षोभ कारित होने के संबंध में कोई कथन फरियादी ने नहीं दिये है। फरियादी को अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी इस संबंध में फरियादी ने अपने संपूर्ण परीक्षण में कोई कथन नहीं दिये।
- 24— घटना के अन्य साक्षी मन्नू (अ0सा0-2) जहां फरियादी के बताये अनुसार घटना बताता हैं वहीं प्रताप (अ0सा0-3) के अनुसार भी उसके सामने कोई घटना नहीं हुई अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका परीक्षण किया गया है जिसमें इन साक्षियों ने इस सबंध में कथन अवश्य दिये है कि अभियुक्त ने फरियादी को मां बहन की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। परन्तु जब इन दोनों साक्षियों के सामने इन साक्षियों के अनुसार ही कोई घटना नहीं हुई तो इस संबंध में इन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी को मां बहन की अश्लील गालिया दी व जान से मारने की धमकी दी यह साबित करने के लिये अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- 25— किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता हैं। वर्तमान प्रकरण में फरियादी विश्राम सिंह (अ0सा0-1) सहित घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में कई गंभीर तात्त्विक विरोधाभास है, जो निश्चित रूप से अभियोजन के लिये घातक साबित हुआ। फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक— 14.12.12 को शाम 06:00 बजे फरियादी का घर ग्राम टाडा में विश्राम सिंह को

लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी विश्राम सिंह के साथ डण्डें से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित कर उसे को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

26-फलतः अभियुक्त भूरा उर्फ जयपाल सिंह यादव पुत्र इन्दल सिंह यादव के विरुद्ध को कारित हुयी उपहति के संबंध में भादवि की धारा- 294, 323, 506बी के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा0द0वि0 की धारा- 294, 323, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

27- अभियुक्त भूरा उर्फ जयपाल सिंह यादव पुत्र इन्दल सिंह यादव की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

